



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनाँक 01-06-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 456/22 धारा 307/427 भादवि व 2/3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को बम बनाने की सामग्री के साथ किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 27-05-2022 को थाना बडौत पर पर वादिनी श्रीमती कामेश पत्नी नरेन्द्र निवासी बिजरौल थाना बडौत पर सूचना दी कि अभियुक्त रणवीर पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ने घर के मेन गेट पर बम लगाकर जान से मारने की



नियत से विस्फोट करना जिसमे वादिनी का पुत्र गौतम पुत्र नरेन्द्र गम्भीर रूप से घायल हो जाने तथा गेट क्षतिग्रस्त हो जाना । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत जनपद बागपत पर मु0अ0सं0 456/22 धारा 307/427 भादवि पंजिकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 456/22 धारा 307/427 भादवि व 2/3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को बम बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रणवीर व मुकदमा वादिनी के परिवार का विगत 15-16 वर्षों से आपसी घरेलू सम्बन्ध मेल जोल तथा पैसे का लेन देन था। किसी बात को लेकर आपसी मतभेद हो गये व विवाद बढ़ गया तो अभियुक्त ने सोचा कि इन्हे सबक सिखाना है कोई ऐसी युक्त तरीके से बदला लूंगा कि अपना काम हो जाये तथा मैं पकडा भी ना जाऊ। इस योजना के तहत रणवीर ने Youtube व अन्य इधर-उधर से जानकारी एकत्रित कर बम बनाने की योजना बनाई व बाजार से सुलभ सामग्री खरीदकर सरकिट तैयार कर स्वयं ही बम तैयार कर दिनांक 26.05.2022 को रात्रि में वादिनी के गेट के नीचे ईंट से दबाकर रख दिया। जिससे कोई व्यक्ति अन्दर गेट खोले या अन्दर से बाहर जाए तो बम फट जाये। सुबह वादिनी के पुत्र गौतम द्वारा गेट खोला गया तो बम फटने की घटना कारित हुई। घटना में प्रयुक्त सामग्री अभियुक्त की निशादेही पर बरामद हुई है मुकदमा उपरोक्त में धारा 2/3 विस्फोटक पदार्थ अधि० की बढौतरी की गयी एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। Youtube पर ऐसे वीडियों को हटाने के लिए प्रचार किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रणवीर पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री कैलाशचन्द थाना बडौत।

2-का०- 166 कुलदीप देशवाल थाना बडौत।

3-का०- 402 विशाल पुनिया थाना बडौत।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01-06-2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0
461/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता सकुशल बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 461/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार थाना बडौत ।
- 2-का0 1016 रोहित राठौर थाना बडौत ।
- 3-म0का0 456 अन्जू मावी थाना बडौत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01-06-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 455/22 धारा 366/328/342/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 455/22 धारा 366/328/342/376 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-नदीम अहमद खान उर्फ कबीर खान पुत्र मंजूर अहमद खान निवासी वार्ड-14 आदर्श कालौनी रूद्रपुर जिला उदमसिंह नगर उत्तराखण्ड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री अभिषेक कुमार थाना बडौत ।
- 2-है0का0 165 कुलदीप भाटी थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 01.06.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने एक जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सोनू पुत्र पवन निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.स. 406/2018 धारा 394 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु.अ.स. 642/2018 धारा 363 भादवि व 7/8 पोस्को अधिनियम थाना बागपत जनपद बागपत ।

3-मु.अ.स. 81/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

4-मु.अ.स. 236/2021 धारा 323/504/506/452 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

5- मु.अ.स. 116/2022 धारा 3/10 यूपी गुण्डा अधिनियम भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना चांदीनगर

2. का0 745 गुलवीर थाना चांदीनगर



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 01.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 543/22 धारा 147/148/323/325 भादवि से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 01.06.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अनीस पुत्र विनोद निवासी नैथला थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. मनोज पुत्र जयकुमार , 2. ललित पुत्र सुनिल, 3. आशु पुत्र मनोज, 4. प्रशान्त पुत्र मनोज 5. कृष्ण पुत्र बाबूराम , 6. राकेश पुत्र रघुवीर, 7. अनिरुद्ध पुत्र राकेश व



8. विकल पुत्र ध्यानचन्द निवासीगण ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत के द्वारा वादी व वादी के साथियों के साथ मारपीट करना जिससे रणबीर सिंह के बायें हाथ की अंगुली टूट गई व योगेन्द्र व वादी अनीस को चोट आई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 543/22 धारा 147/148/323/325 भादवि में पंजिकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने मु0अ0सं0 543/22 धारा 147/148/323/325 भादवि से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1.राकेश पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2.मनोज पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3.अनिरुद्ध पुत्र राकेश निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4. प्रशान्त पुत्र मनोज निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उपनि० श्री राजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत
- 2.है०का० 336 राजकुमार थाना कोतवाली बागपत
- 3.का० 981 अंकित थाना कोतवाली बागपत
- 4.का० 579 कुलदीप थाना कोतवाली बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 482/22 धारा
452/354बी/323/504/506 में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने मु०अ०सं० 482/22 धारा 452/354बी/323/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना, मेडिकल प्रपत्र व बयान पीड़िता धारा 164 CRPC के आधार पर धारा 376/511/395 भादवि का विलोप किया गया व धारा 504 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-राजेन्द्र पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ०नि० श्री हरिजेश कुमार कोतवाली बागपत

2.का० 846 नरेन्द्र कोतवाली बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक

01.06.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 540/22 धारा 379/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 02 बैटरी बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.05.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सुरेन्द्र पुत्र शंकर निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि सुबह समय करीब 04.00 बजे उसके घर ग्राम काठा से अभियुक्त 1. अतुल पुत्र अशोक, 2. चीनू पुत्र राकेश निवासी गण ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत ने वादी के बैटरी व दूध के डिब्बे चोरी कर लिये व जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 540/22 धारा 379/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 540/22 धारा 379/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी की हुई 02 बैटरी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अतुल पुत्र अशोक निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-चीनू पुत्र राकेश निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 02 बैटरी । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 540/22 धारा 379/506/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)।

आपराधिक इतिहास:-

1.अतुल उपरोक्त-

1-मु0अ0सं0 540/22 धारा 379/506/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 539/22 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2.चीनू उपरोक्त

1-मु0अ0सं0 540/22 धारा 379/506/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 539/22 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य ।

2-का0 511 धर्मेन्द्र ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 454/20 धारा 392/411 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.20 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अमित कुमार पुत्र स्व0 रामकिशन निवासी ग्राम क्यामपुर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि उससे चार व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा अस्लाह के बल पर 16 हजार रुपये मोबाइल फोन, पेन कार्ड, वोटर आई कार्ड आदि छीन कर ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 454/20 धारा 392 भादवि पंजिकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने 454/20 धारा 392/411 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-कमल पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उपनि० श्री प्रियवृत्त आर्य थाना कोतवाली बागपत
- 2.उपनि० श्री राममूर्ती शर्मा कोतवाली बागपत
- 3.है०का० 401 जितेन्द्र सिंह कोतवाली बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01.06.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 305/19 धारा 379/411 भादवि में प्रकाश मे आये अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.05.19 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री रोहताश सिंह निवासी पट्टी भरवानिया अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी की मो०सा० बजाज पल्सर नं० DL-



9SP-8937 व दो मोबाइल फोन चोरी कर लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 305/19 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 305/19 धारा 379/411 भादवि में प्रकाश मे आये अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

- 1.सचिन पुत्र स्व० रामकुमार शर्मा निवासी ग्राम बिशनौली थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर ।
हाल निवासी म०नं० 73 गली नं० 4 कर्दम फार्म जौहरीपुर थाना करावलनगर दिल्ली ईस्ट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उपनि० श्री हरिजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत
- 2.का० 846 नरेन्द्र कुमार कोतवाली बागपत